

भारत सरकार  
खानमंत्रालय  
भारतीय खान ब्यूरो  
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय  
माखूपुरा औद्योगिक क्षेत्र, अजमेर  
ई-मेल: ro.ajmer@ibm.gov.in



Government of India  
Ministry of Mines  
Indian Bureau of Mines  
Office of the Regional Controller of Mines.  
Makhupura Industrial Area, Ajmer-  
305002  
Ph-145-2695165/2695476 Fax-2695202

संख्या: MCDR-MiFLOPbZn/4/2022-AJM-IBM\_RO\_AJM

दिनांक: 26/09/2023

प्रेषित: खान एजेंट,  
मोचिया लेड जिंक खान,  
मेसर्स हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड,  
पोस्ट: जाविर,  
जिला: उदयपुर (राजस्थान),  
पिन: 313901.

(e-mail: [vekesh.chittora@vedanta.co.in](mailto:vekesh.chittora@vedanta.co.in), [balamurugan.p@vedanta.co.in](mailto:balamurugan.p@vedanta.co.in))

विषय: राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले में स्थित आपकी मोचिया लेड जिंक खान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के उल्लंघन के संदर्भ में।

महोदय,

इस कार्यालयके डॉ. ए. जेड. खान, क्षेत्रीय खनन भूविज्ञानी द्वारा दिनांक 24.08.2023 को किये गये उपरोक्त खान के निरीक्षण के दौरान आपकी उपरोक्त खान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन पाया गया-

Rule	Status and extent of violation			
11 (1)	(i) UG Development			
	Section	Block	Prop. Dev(Meter)	Actual Dev. (Meter)
	CM	(-)29-39	2200	700.42
	CM	(-)29-(-98)	1500	1415.31
	CM	(-)98-(-298)	700	0
	CW-0	(-)23-57	200	426.94
	CW-0	(-)23-(-98)	1300	1255.54
	CW-0	(-)98-(-298)	1500	1310.38
	CW-0	57-312 pillars	600	0
	CWM	(-)23-57	700	449.14
	CWM	(-23)-(-98)	4500	4153.06
	CWM	(-)98-(-198)	700	717.03
	NV	452-(-23)	1100	0
	Decline		1700	1345.89
	Ventilation		900	338.4
Exploration		1000	533.3	
Total		<b>18800</b>	<b>12645.41</b>	
It shows that underground development has not been carried out as per approved proposal and there is shortfall in the total development also.				

I/17729/2023

## (ii) UG Waste

Proposed (Tonnes)	Actual(Tonnes)
395000	511666

The production from the mine during the year 2022-23 was 1569453tonnes against the proposal of 1800000 tonne but the waste generation from UG is more than the proposal.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिजसंरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियम के उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत:
- (क) आपकी खान कि सारी संक्रियाए बंद की जा सकती है।  
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है ।  
(ग) राज्य सरकार को खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश जा सकती है।
03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त नियम के उल्लंघन का अतिशीघ्र सुधार करें एवं सुधार की स्थिति कि सूचना इस पत्र के जारी होने कि दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करे।

भवदीय

(चन्द्रेश बोहरा)  
उप खान नियंत्रक (प्रभारी)  
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित:

1. खान नियंत्रक (उत्तर) भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर। (email द्वारा)
2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
3. खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
4. रक्षित पत्रवली।

उप खान नियंत्रक (प्रभारी)  
भारतीय खान ब्यूरो